# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

**आवेदक**

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

**प्रतिवादी/अभियुक्त**

प्रहलाद देवासी पुत्र श्री समेलाराम, जाति- देवासी, उम्र 32 वर्ष,
निवासी- भूबा की ढाणी, सिवाना, तहसील- आहोर, जिला- जालोर
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्म:- सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 02/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

**उपस्थिति:**

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त प्रहलाद देवासी

-: निर्णय :- दिनांक 11 सितम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 30.10.2018 को समय 4.00 पी.एम. पर फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पँहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति प्रहलाद देवासी पुत्र श्री समेलाराम, जाति- देवासी, निवासी- भूबा की ढाणी, सिवाना, तहसील- आहोर, जिला- जालोर है एवं फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु Mixed Milk का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले Mixed Milk के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की व उक्त डेयरी के फ्रिज के चेम्बर में बिक्री हेतु मौजूद Mixed Milk लगभग 40 लीटर को अच्छी तरह हिला मिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुए Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk जांच हेतु एक साफ सूखे खाली स्टील के भगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत रुपये 80/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

**F.S.S.Act Case No. 02/2019**

साफ, सूखी एवं खाली शीशीयां दिखाई एवं लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा Mixed Milk को चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डाली। तत्पश्चात् चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-846 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.10.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 30.10.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से Mixed Milk की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी से जांच हेतु क्रय किया गया Mixed Milk का नमूना S-846 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी को भी भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन प्रहलाद देवासी ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नही

....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

किया। प्रकरण से संबंधित मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अभियुक्त ने अमानक (Sub-standard) Mixed Milk का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर इस न्यायालय में दिनांक 11.9.2019 को प्रतिवादी प्रहलाद देवासी ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 30.10.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो मिक्स्ड मिल्क का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया, वह मैनें बिक्री हेतु आस-पास ग्रामों के पशु पालकों से गाय एवं भैस का दूध लेकर इक्कठा किया था। मेरे स्वयं के कोई गाय भैस नही है, मैनें मेरी ओर से इसमें कुछ भी नही मिलाया था। मै एक गरीब आदमी हूँ। मैनें शिवगंज में डेयरी शुरु की थी, अब मैनें डेयरी बंद कर दी है, अतः कम से कम जुर्माना करते हुए मुझे इस मुकदमें से मुक्त किया जावे। प्रतिवादी प्रहलाद देवासी ने जवाब के साथ साथ एक प्रार्थना पत्र इस प्रकरण की जल्दी सुनवाई हेतु प्रस्तुत कर दिनांक 11.9.2019 को ही प्रकरण में सुनवाई का अनुरोध किया। जिसकी प्रति इस न्यायालय में उपस्थित श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिलाई गई। जिन्होनें इस प्रकरण की जल्दी सुनवाई किये जाने में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया। जिस पर इस प्रकरण की पत्रावली नियत सुनवाई दिनांक 16.9.2019 के स्थान पर आज दिनांक 11.9.2019 को सुनवाई हेतु तारीख पेशी में रखी गई।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी प्रहलाद देवासी द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 11.9.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त प्रहलाद देवासी ने अमानक (Sub-standard) Mixed Milk का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी प्रहलाद देवासी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2018 को समय 4.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से प्रहलाद देवासी पुत्र श्री समेलाराम, जाति- देवासी, निवासी- भूबा की ढाणी, सिवाना, तहसील- आहोर, जिला- जालोर उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग

...पेज चार पर

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

हेतु Mixed Milk का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले Mixed Milk के अमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री नवीन पुत्र श्री भंवरलाल सैन, हवाई बिल्डिंग, सूरजपाल, पाली के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता प्रहलाद देवासी को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त सारणेश्वर डेयरी पार्लर के फ्रिज के चेम्बर में उपलब्ध Mixed Milk लगभग 40 लीटर को एक लीटर के नपने से हिला मिलाकर एकरुप किया व इस एक रुप किये गये Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk को एक साफ सूखे खाली स्टील के भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) खाद्यकारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी एवं उक्त गवाहान तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहों व खाद्य कारोबारकर्ता को चार साफ सूखे एवं खाली शीशीयां दिखाई एवं इन चारों शीशीयों में खरीद शुदा Mixed Milk को बराबर बराबर मात्रा में भरकर शीशीयों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-846, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर क़िये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-846 को नियमानुसार गोद से चिपंकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी, उक्त गवाहों एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी से Mixed Milk का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.10.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.10.2018 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त Mixed Milk का नमूना संख्या S-846 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./844/Act/2018/863 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, छावनी गली, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता प्रहलाद देवासी से वास्ते नमूना जांच कय किया गया Mixed Milk का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी अभियुक्त प्रहलाद देवासी ने अमानक (Sub-standard) Mixed Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त प्रहलाद देवासी पुत्र श्री समेलाराम, जाति- देवासी, निवासी- भूबा की ढाणी, सिवाना, तहसील- आहोर, जिला- जालोर पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी प्रहलाद देवासी पुत्र श्री समेलाराम, जाति- देवासी, निवासी- भूबा की ढाणी, सिवाना, तहसील- आहोर, जिला- जालोर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)